सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अजय कुमार, स०वि०स० श्री महानंद सिंह, स०वि०स० श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री सुर्यकान्त पासवान, स०वि०स० श्री रणविजय साहू, स०वि०स०	''भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड का पद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पद है । उक्त पदों पर वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन सीधे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के संकल्प दिनांक-25.01.2010 की कंडिका 4(6) के तहत कार्यकारी व्यवस्था के तहत किया गया है । वर्तमान समय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड के 100 पदाधिकारी उपलब्ध हैं । अत: भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग में वापस लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर नव प्रोन्नत पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	सामान्य प्रशासन / राजस्व एवं भूमि सुधार

2. डा० सुनील कुमार, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री कुंदन कुमार, स०वि०स० श्री राणा रणधीर, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स०	''बिहार राजकीयकृत उच्च विद्यालय प्रबंध समिति का गठन एवं संचालन नियमावली-2022 के विपरीत शिक्षा विभाग ने ज्ञापांक-191(गो), दिनांक-20.07.2023 द्वारा 50 हजार रूपये से 05 लाख रूपये तक विद्यालय के विकास एवं सामग्रियों के क्रय हेतु प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापकों को अधिकार दिया है, जो नियमानुकूल नहीं है । उक्त आदेश के कारण प्रबंध समिति की अनुमति के बिना उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ (नालन्दा) के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विकास कोष की जमा राशि निकालकर बंदरबांट किया जा रहा है । इसी तरह पूरे राज्य के उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों / प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा विकास कोष की राशि निकालकर बंदरबांट किया जा रहा है । शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-191 (गो), दिनांक-20.07.2022 द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देश बिहार अराजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1961 एवं नियमावली, 2022 के विपरीत है । अतः विभाग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देश को तत्काल रद्द करते हुए राज्य के सभी उच्च विद्यालयों में हो रहे विकास कोष की राशि की बंदरबांट को रोकने के लिए मुख्यालय से जांच कराने तथा जांचोपरान्त दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/2024- 398 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/2024- 398 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्य मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/2024- 398 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/2024- 398 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।